न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या 16/2018

अपीलांटः—

1. श्री मोहम्मद पुत्र श्री मुराद उम्र 72 वर्ष, जाति घोसी मुसलमान निवासी 46 जालोरी दरवाजा, पाली तहसील पाली जिला—पाली (राज0)

रेस्पोंडेंट्सः—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) पाली तहसील पाली जिला पाली (राज0)
2. श्री सवाईसिंह पुत्र श्री पाबुसिंह उम्र वयस्क जाति राजपुरोहित निवासी गायत्री नगर, पाली तहसील पाली जिला—पाली (राज0)
3. श्री रामसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह उम्र वयस्क जाति राजपुत निवासी कानदरा तहसील पाली जिला पाली (राज0)

उपस्थितिः—

1. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री किरण कुमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पों0 संख्या 2 व 3

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बखिलाफ म्यूटेशन संख्या 1302 दिनांक 27—08—1985 जो श्रीमान् सरपंच महोदय, डेन्डा तहसील पाली द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त करने बाबत।

—ःआदेशः— **दिनांक** 22.3.2019

1. अपीलांट ने यह प्रार्थना—पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा डेन्डा, पटवार हल्का डेन्डा, भू– अभिलेख निरीक्षण हल्का गुंदोज, तहसील पाली जिला पाली में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन की सह खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 738/3 रकबा 12.06 बीघा व 779/4 रकबा 7.15 बीघा कुल रकबा 20.06 बीघा स्थित है। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन का कब्जा काश्त है। यह कृषि भूमि अपीलांट द्वारा दिनांक 04—06—1984 को जरिये बेचाण के सोहनसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जी से खरीद की गई है। अपीलांट द्वारा खरीद के पश्चात अपीलांट के नाम नामान्तरण संख्या 1302 दिनांक 27—08—1985 को भरा गया जो नामान्तरण सरपंच महोदय, डेण्डा द्वारा भरा गया। उक्त नामान्तरण में अपीलांट की गलत जाति दर्ज कर भरा गया। यह नामान्तरण तथ्य विधि व रेकर्ड के विरूद्ध है। उक्त म्यूटेशन से व्यथित होकर अपीलांट निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करता है– म्यूटेशन जैर अपील गलत व विधि व नियमों के विरूद्ध है। यह म्यूटेशन रेकर्ड के विरूद्ध है जिससे जैर अपील म्यूटेशन खारीज किये जाने योग्य है। सरहद मौजा डेन्डा, पटवार हल्का डेन्डा, भू—अभिलेख निरीक्षण हल्का गुंदोज तहसील पाली जिला पाली में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन की सह—खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 738/3 रकबा 12.06 बीघा व 779/4 रकबा 7.15 बीघा कुल रकबा 20.06 बीघा स्थित है। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन का कब्जा काश्त है। यह कृषि भूमि अपीलांट द्वारा दिनांक 04—06—1984 को जरिये बैचाण के सोहनसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जी से खरीद की गई है। अपीलांट द्वारा खरीद के पश्चात् अपीलांट के नाम नामान्तरण संख्या 1302 दिनांक 22—07—1985 को भरा गया जो नामान्तरण सरपंच महोदय डेन्डा द्वारा भरा गया व भू.अ.नि. गुंदोज द्वारा चैक किया गया। जो नामान्तरण तथ्य, विधि व रेकर्ड के विरूद्ध है। जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा आता है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा सोहनसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

डेन्डा से दिनांक 04–06–1984 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण के खरीद किया गया। जो बैचाणनामा श्रीमान् सब रजिस्ट्रार पाली के कार्यालय में दर्ज है। अपीलांट द्वारा श्रीमान् पटवारी डेण्डा के समक्ष अपनी नाम से नामान्तरण भरने हेतु रजिस्टर्ड बेचाणनामा पेश किया तथा अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया। पटवारी डेन्डा द्वारा नामान्तर भर कर सरपंच महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा श्रीमान् सरपंच महोदय डेन्डा द्वारा दिनांक 27–08–1985 को नामान्तरण संख्या 1302 स्वीकार किया गया। परन्तु सेव एवं सद्भाविक त्रुटिवश अपीलांट की जाति घोसी के स्थान पर घांची दर्ज कर दिया गई जबकि अपीलांट की जाति घोसी है तथा अपीलांट के पक्ष में किये गये बेचाण में भी अपीलांट की जाति घोसी दर्ज है, घांची नहीं। जिससे जैर अंपील म्युटेशन तथ्यों व रेकर्ड के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है जो नामान्तरण जैर अपील है। अपीलांट की जाति घोसी है तथा अपीलांट को घोसी जाति से जाना व पहिचाना जाता है। अपीलांट राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों में घोसी जाति दर्ज है। अपीलांट के नाम उक्त खसरान के बैचाण दस्तावेज में घोसी जाति दर्ज है। अपीलांट की घांची जाति कभी भी नहीं रही। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के घोसी के स्थान पर घांची जाति दर्ज कर नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जो गलत होने से प्रारंभ से ही शुन्य है व निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के नाम नामान्तरण जैर अपील भरे जाने के समय अपीलांट को उक्त नामान्तरण प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। अपीलांट अनपढ है। हल्का पटवारी द्वारा सही जांच नहीं की गई व नामान्तरण जैर अपील भरा गया जो सद्भाविक त्रुटि से गलत जाति दर्ज हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का उपरोक्त कृषि भुमि में अपना हक हिस्सा है तथा आज भी अपीलान्ट का कब्जा काश्त बिना किसी राक टोक के निरन्तर चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा आज दिन तक उक्त भूमि का बैचाण, हस्तान्तरण आदि नहीं किया है व अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। अपीलान्ट की जाति गलत दर्ज कर दी गई है। जिससे अपील अपीलान्ट स्वाकार किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की जाति घोसी है तथा राजस्व रेकर्ड से अपीलान्ट की जाति घांची होने से अलीलान्ट को बहुत कठिनाईयों का सामना पड रहा है। अपीलान्ट की जाति बदल जाने से अपीलान्ट अपनी कृषि भुमि का लाभ नहीं ले पा रहा है। अपीलान्ट अपनी जमीन पर लोन नहीं ले पा रहा है। सरकारी योजनाओ से वंचीत है। जिससे अपीलान्ट को अपूर्णनिय क्षति हो रही है तथा अपीलान्ट के सौ साल पुगने पर उसके वारीसो के नाम पर कृषि भुमि नही हो पायेगी। इस कारण से भी राजस्व रेकर्ड मे अपीलान्ट जाति घांची के स्थान पर घोसी संशोधन किये जाने हेतु नामान्तरण जैर अपील को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अपीलान्ट के उपरोक्त वर्णित खसरान में नामान्तरण निरस्त कर अपीलान्ट की जाति घोसी कर नामान्तरण अमल दरामद किये जाने से अन्य किसी सह खातेदारो व रेस्पोडेन्टस के हितो पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। न ही कोई नुकसान ही होगा। न ही रेकर्ड में हक हिस्से पर ही कोई असर ही होगा। इसके विपरीत अपीलान्ट के खसरान में उपरोक्त वर्णितानुसार जाति नहीं होने से अपीलान्ट को भारी नुकसान होगा। जिससे म्युटेशन जैर अपील निरस्त किया जाना लाजमी है। जैर अपील म्युटेशन स्वीकृत किये जाने से पूर्व किसी प्रकार से दस्तावेज की जांच नहीं की गई। म्युटेशन शुन्य है व अपीलान्ट के हितो के विरुद्ध है। उक्त म्युटेशन के जरिये अपीलान्ट के हितो को खत्म नहीं किया जा सकता हैं। म्यूटेशन जैर अपील से राईट व टाईटल तय नही होते है। इस कारण से म्युटेशन जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। सह खातेदारान संख्या दो व तीन के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई रिलिफ अपीलान्ट को नही चाहिये परन्तु अन्य सह खातेदारान होने से उन्हे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होने से पक्षकार बनाया गया है। जो फोरमल पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत किया गया जो म्यूटेशन प्रारम्भ से ही शून्य है व अपीलान्ट के हितो के विरुद्ध बेअसर है व इस म्यूटेशन के भरे जाने का अपीलान्ट को

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

जानकारी नहीं थी। इस कारण से म्यूटेशन को पूर्व में चेलेन्ज नहीं किया गया। नामान्तरण भरे के अपीलान्ट ने अपने दस्तावेज दिये थे जिसके आधार पर नामान्तरण भरे जाने के अपीलान्ट ने अपने दस्तावेज दिये थे जिसके आधार पर नामान्तरण अमल दरामद किया जाना था जिसमे घोसी जाति लिखी होने से अपीलान्ट को पूर्ण विश्वास था कि अपीलान्ट के राजस्व रेकर्ड में भी अपीलान्ट के नाम के बाद घोसी जाति ही लिखी होगी। अपीलान्ट को पूर्व में राजस्व रेकर्ड देखने की आवश्यकता नही हुई। अपीलान्ट को अपने कृषि कार्य हेतु लोन लेने की आवश्यकता हुई तथा कृषि पर के. सी. सी. करवाने हेतु बैंक में गया व अपने कृषि भुमी की जमाबन्दी की नकल बताई तब बैंक कर्मचारियों द्वारा अपीलान्ट को बताया गया कि अपीलान्ट के नाम के आगे जाति घोसी के स्थान पर घांची राजस्व रेकर्ड दर्ज है। तब अपीलान्ट ने पटवारी से सम्पर्क किया तो पटवारी जी ने बताया क़ि सेव एवं सदभाविक, त्रुटी से घोसी के स्थान पर घांची दर्ज हो गया है तब अपीलान्ट ने श्रीमान तहसीलदार महोदय पाली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरस्ती का पेश किया परन्तु रेकर्ड दुरस्त नही किया गया तब अपीलान्ट को प्रथम बार नामान्तरण जैर अपील की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा पटवारी डेन्डा से जमाबन्दी की नकल ली व पाली में अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 11–09–2018 को म्युटेशन की नकल का आवेदन पेश किया तथा दिनांक 11–09–2018 को नकल प्राप्त हुई। श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा कार्यवाही नही करनें पर अपीलान्ट द्वारा पुनः नकल आवेदन पेश किया व नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त कर अपीलान्ट रुपये पैसो का प्रबन्ध कर अधिवक्ता कर यह अपील तैयार करवा कर पेश की जा रही हैं अपीलान्ट कम पढ़ा लिखा है तथा कानुनी पेचीदगीयो व म्यादो से अनभिग्य है। म्यूटेशन भरे जाने की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अपीलान्ट को यह विश्वास था कि राजस्व रेकर्ड में सही जाति से म्युटेशन भरा गया है। अपील में कानुनी बिन्दू समाहीत है। इसलिये अपील अन्दर म्याद है। म्याद हेतु अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र साथ पेश है। कृषि भुमि खसरा 738/3 रकबा 12.06 बीघा व 779/4 रकबा 7.15 बीघा कुल रकबा 20.06 बीघा स्थित है तथा अपीलाधीन म्यूटेशन श्रीमान सरपंच महोदय डेन्डा द्वारा स्वीकृत किये गया है। जिससे यह अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायाय को प्राप्त है। अपील माफिक कानुन न्याय शुल्क प्रस्तुत है। अन्य उजरात बरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा कृषि भुमी वर्तमान खसरा संख्या 738/3 रकबा 12.06 बीघा व 779/4 रकबा 7.15 बीघा कुल रकबा 20.06 बीघा कृषि भुमि में भरे गये नामान्तरण संख्या 1302 दिनांक 27–08–1985 जो श्रीमान सरपंच माहोदय डेन्डा द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट के नाम व जाति से नामान्तरण दर्ज किया जावें। अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

2. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 व 3 ने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, डेण्डा ने जरिये पत्रांक/154 दिनांक 28–01–2019 निवेदन किया कि अवधि 27–08–1985 का बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।

3. बहस अपील उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख ग्राम डेण्डा के खसरा नंबर 738 मि. रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नंबर 779 मि. रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि पूर्व खातेदार

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

सोहनसिंह पुत्र उदयसिंह कौम राजपूत से खरीद की गई थी। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर भरे गये नामां0 संख्या 1302 में अपीलांट की जाति घोसी के स्थान पर घांची दर्ज कर दी गई। अपीलांट की जाति घांची न होकर घोसी है तथा घोसी जाति से अपीलांट जाना व पहिचाना जाता है। विक्रय विलेख में भी जाति घोसी दर्ज है। हल्का पटवारी द्वारा सही जांच नहीं की गई व नामांतरण जैर अपील भरा गया जो सद्भाविक त्रुटी से गलत जाति दर्ज कर दी। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील नामांतरण को निरस्त कर अपीलांट के नाम व जाति से नामां0 दर्ज किया जावे।

5. रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 व 3 को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

6. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 04–06–1984 के द्वारा वादग्रस्त भूमि पूर्व खातेदार सोहनसिंह पुत्र उदयसिंह कौम राजपूत से अपीलांट सहित सवाईसिंह पुत्र पाबूसिंह कौम राजपुरोहित सा0 पाली एवं श्री रामसिंह पुत्र नारायणसिंह कौम राजपूत साकिन काणदरा ने खरीद की तथा उक्त विक्रय विलेख के आधार पर नामां0 संख्या 1302 भरा जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत, डेण्डा द्वारा बैठक दिनांक 27–08–85 में स्वीकृत किया गया। उक्त विक्रय विलेख में अपीलांट की जाति घोसी दर्ज है जबकि जैर अपील नामां0 संख्या मोहमद वल्द मुराद कौम घांची मुसलमान दर्ज कर दी गई है। उक्त नामां0 को जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 के खाता संख्या 738 में इंद्राज किया गया तथा तत्पश्चात् बनने वाली चौसाला जमाबंदीयों में अपीलांट की जाति घांची मुसलमान दर्ज होती रही तथा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 1025 में भी अपीलांट बतौर खातेदार मोहम्मद पुत्र मुराद कौम घांची मुसलमान दर्ज है। उक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर भरे गये नामां0 में अपीलांट की जाति रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में दर्ज **घोसी** के स्थान पर नामां0 में गलत रूप से बगैर कोई आधार के जाति **घांची** दर्ज कर दी गई है। गलत रूप से दर्ज जाति के इंद्राज के नामां0 की भू0अ0नि0 तथा ग्राम पंचायत द्वारा कोई जांच नहीं किया जाना साबित होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर ग्राम डेण्डा के नामां0 संख्या 1302 पर ग्राम पंचायत, डेण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–08–85 को यथावत् रखा जाना कत्तई न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विक्रय विलेख दिनांक 04–06–1984 में अपीलांट की दर्ज जाति घोसी अंकित करते हुए म्यूटेशन भर कर पारित कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत जाति घांची के स्थान पर घोसी दर्ज करें। इस निर्णय की प्रति एवं मूल नामां0 संख्या 1302 तहसीलदार, पाली को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित किया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * पाली *

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner